प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.10.2026

अपराध शाखा आपरेशनल टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा भारी मात्रा मे अवैध विस्फोटक सामग्री (पटाखों) का बिक्री हेतु भण्डारण करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 80 प्लास्टिक के बोरो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के 18 कुन्तल, 72 किलो 800 ग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद

कमिश्नरेट गाजियाबाद में अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे की बिक्री/भण्डारण की रोकथाम के दृष्टिगत अपराध शाखा आपरेशनल टीम गाजियाबाद द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सिटी क्षेत्र में सूर्या एन्कलेव चौकी क्षेत्र सिविल लाईन थाना कोतवाली कमि0 गाजियाबाद में अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों की बिक्री/भण्डारण का पर्दाफाश करते हुए दुकान/गोदाम मालिक सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न प्रकार की अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

दिनांकः-30/10/2026 को मुखबिर की सूचना पर अपराध शाखा द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सिटी क्षेत्रान्तर्गत सूर्या एन्कलेव चौकी क्षेत्र सिविल लाईन में एक दुकान व गोदाम मे बिक्री हेतु भण्डारण किये गये अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों की बिक्री व भण्डारण करने वाले दुकान/गोदाम मालिक सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध **18 कुन्तल, 72 किलो 800 ग्राम** विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद किये गये। उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार ने बताया कि उक्त दुकान व गोदाम मेरा ही है। हमारा नमकीन का कारोबार है जिसकी आड़ मे हम लोग दिवाली के त्यौहार पर पटाखे भी बेच रहे थे चूँकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखो के भण्डारण व बिक्री पर रोक है उसी के चलते आगामी दिवाली के त्यौहार को देखते हुये पटाखों को चोरी-छिपे बेचने से काफी मुनाफा होता है इसी लालच मे आगामी दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य मेरे व मेरे बेटो द्वारा तमिलनाडु से अवैध पटाखे मंगाकर बिक्री के लिए यहाँ पर भण्डारण किया हुआ था। बरामद उक्त अवैध पटाखो की बिक्री गिरफ्तार किये गये तीनों अभियुक्त (अशोक कुमार, रिषभ गुप्ता व अन्नत गुप्ता) उक्त अवैध विस्फोटक सामग्री की बिक्री व भण्डारण को दुकान / गोदाम मालिक द्वारा अपनी नमकीन की दुकान का नाम देकर किया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अशोक कुमार पुत्र गोपीचन्द निवासी नासिरपुर फाटक के पास थाना सिहानी गेट कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब-53 वर्ष

2रिषभ गुप्ता पुत्र अशोक कुमार निवासी नासिरपुर फाटक के पास थाना सिहानी गेट कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब-23 वर्ष

3.अन्नत गुप्ता पुत्र अशोक कुमार निवासी नासिरपुर फाटक के पास थाना सिहानी गेट कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब-21 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

1.अवैध विस्फोटक सामग्री 80 अदद प्लास्टिक के बोरो में- **18 कुन्तल, 72 किलो 800 ग्राम**

2.अवैध विस्फोटक सामग्री के बिक्री के लिए तोल हेतु इलैक्ट्रोनिक तराजू – 01 अदद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

आपरेशनल टीम अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30.10.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त राजपाल पुत्र शंकर लाल निवासी सी 190, गली नं0 6 दिनेश के मकान में किराये पर गगन विहार भोपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत जनपद बदायू उम्र करीब 50 वर्ष को थाना टीलामोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे 04 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हए। गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल उपरोक्त के विरुध्द थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी(1)बी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से अवैध आतिशबाजी पटाखों को सस्ते दामों में खरीदकर लाता हूँ, जिन्हे चोरी छिपे अधिक दामों में चलते फिरते लोगों को बेच रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजपाल पुत्र शंकर लाल निवासी सी190, गली नं0 6 दिनेश के मकान में किराये पर गगन विहार भोपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत जनपद बदायू उम्र करीब 50 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

04 प्लास्टिक के कट्टे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल उपरोक्त के विरुध्द थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर 05 अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास व कुल 81 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.10.2026 को थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 147/148/149/302 भादवि व 25/4 आर्म्स एक्ट में अभियुक्तगण 1- सुभाष पुत्र छोटेलाल 2- कुलदीप पुत्र छोटेलाल, 3- संदीप पुत्र छोटेलाल निवासीगण ग्राम देवरी जसराना, जनपद फिरोजाबाद 4- पूसी उर्फ अरविन्द पुत्र हाकिम निवासी मौहल्ला धौकल नारखी, जनपद फिरोजाबाद 5- वेदराम पुत्र जौहरी निवासी ग्राम दफामई, जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 07 गाजियाबाद, द्वारा धारा 302/149 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 02-02 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 148 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्तगण संदीप व सुभाष उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। विवेचक/ तत्कालीन प्र0नि0 श्री ब्रजेश कुमार वर्मा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रवि शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी तर्कसंगत एवं सुदृढ पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

अभियुक्तों द्वारा वादिया के भाई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर दिनांक 15.04.2017 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

		
श्री रवि शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**आरक्षी प्रताप सिंह** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 रणजीत सिंह** पैरोकार थाना साहिबाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखे रखने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर जय माता ट्रैवलर्स ग्रीन पटाखे दुकान नं0 04 नियर सिटी कार्ट से अवैध आतिशबाजी पटाखे रखने वाला 01 अभियुक्त 1. आशुतोष गुप्ता पुत्र योगेश गुप्ता निवासी 257 प्रमोद भवन दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को मय 09 बोरे व 02 कार्टून अवैध पटाखे (भिन्न भिन्न मार्का) अतिशबाजी पटाखे के साथ गिरफ्तार किया गया है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. आशुतोष गुप्ता पुत्र योगेश गुप्ता निवासी 257 प्रमोद भवन दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0सं0- 312/2026 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

09 बोरे व 02 कार्टून अवैध पटाखे (भिन्न भिन्न मार्का) अतिशबाजी पटाखे

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अवैध हुक्का बार चलाने वाले 18 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से 04 हुक्का मय चिलम 19 पाईप काले रंग के 01 नीले रंग का 01 पीले रंग का एक पैकिट हुक्के का निप्पल 05 नोसिल पीली धातु के 08 नोसिल प्लास्टिक के 01 पीली धातु का चिमटा 03 कोईल हीटर 01 पैकिट कोईल, Royal smoking Flavoured sheesha moiasses काले रंग के पैकिट में व Al Fakher लाल रंग के पैकेट में फ्लेवर्ड तम्बाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30.10.2026 को शान्ति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि राजनगर रेजिडेन्सी में फ्लैट नं0-1101,1102,1103 ए टावर 11 फ्लोर के अन्दर काफी संख्या में लोगों द्वारा हुक्का और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादो का सेवन किया जा रहा है व संचालको द्वारा अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का परोसा जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर राजनगर रेजिडेन्सी में फ्लैट नं0-1101,1102,1103 ए टावर 11 फ्लोर पर हम पुलिस वाले पहुँचे तो देखा कि कई लोग राजनगर रेजिडेन्सी में फ्लैट नं0-1101,1102,1103 ए टावर 11 फ्लोर के अन्दर हुक्का बार चल रहे हैं। काफी संख्या में लोगों द्वारा हुक्का और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादो का सेवन किया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके

हम पुलिस वाले राजनगर रेजिडेन्सी में फ्लैट नं0-1101,1102,1103 ए टावर 11 फ्लोर पर पहुंचकर चैक किया गया तो चारों ओर धुंआ ही धुंआ फैला हुआ है। तथा मौजूद लोग हुक्का पी रहे हैं। पुलिस को देख कर धक्कामुक्की करते हुए कुछ लोग वहाँ से भाग गए , पुलिस पार्टी द्वारा फ्लैट नं0-1101 में 18 लोग पकडे गये जिन्होने पूछने पर अपना नाम व पता 1. हनी चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी ए53 ग्राउण्ड फ्लोर 01 सेक्टर03 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर 2. कृष्णा चौधरी पुत्र दिनेश चौधरी निवासी सेक्टर 4/44 थाना बेव सिटी 3. निशान्त यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी एसडी 293 शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद 4. प्रणव वर्मा पुत्र जुगलकिशोर वर्मा निवासी एसई 610 शास्त्री नगर गाजियाबाद 5. अभिषेक डागर पुत्र सतीश डागर निवासी ए ब्लाक म0न0- 114 लोहिया नगर थाना सिहानी गेट 6- स्वास्तिक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी के सी 54/19 थाना कविनगर 7. आदित्य कपूर पुत्र आशीष कपूर निवासी आर 7 ई 91 राजनगर थाना कविनगर 8. आयुष वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी 126 डासना गेट सुख्खीमल मोहल्ला थाना कोतवाली 9. रोनित यादव पुत्र जगवीर सिंह निवासी जे 01 थर्ड एफ0 नेहरू नगर गाजियाबाद 10. लोकेश मलिक पुत्र इन्द्रजीत मलिक निवासी रमतेरम रोड़ म0नं0- 216 थाना कोतवाली गाजियाबाद 11. अनमोल त्यागी पुत्र जगमोहन त्यागी निवासी 58 एफ एफ ज्योति सुपर विलेज राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम 12. रजत यादव पुत्र विजयपाल यादव निवासी म0नं0-421 शाहपुर बमहैटा थाना बेव सिटी 13. अमित यादव पुत्र जगपाल यादव निवासी सारेहोम्स फ्लैट नं0- जी 402 थाना बेवसिटी 14. बिलाल पुत्र आफताब निवासी म0नं0- 192 पुराना किला डासना थाना बेवसिटी 15. मंजीत पुत्र जगदीश निवासी म0नं0- 59 नेहरू नगर न्यू कालिका गढी चौक थाना कोतवाली 16. हर्ष पुत्र शोभाराम निवासी फ्लैट नं0- 126 विनायक टावर महागुनपुरम थाना कविनगर 17. रोहित अरोरा पुत्र मनीष अरोरा निवासी म0नं0- 159 ए न्यू गांधी नगर थाना कविनगर 18. अभय पुत्र पंकज अग्रवाल निवासी म0नं0- सी 2246 न्यू पंचवटी थाना कोतवाली बताया ,को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 04 अदद हुक्का मय चिलम 19 पाईप काले रंग के 01 नीले रंग का 01 पीले रंग का एक अदद पैकिट हुक्के का निप्पल 05 नोसिल पीली धातु के 08 नोसिल प्लास्टिक के 01 अदद पीली धातु का चिमटा 03 अदद कोईल हीटर 01 अदद पैकिट कोईल, Royal smoking Flavoured sheesha moiasses काले रंग के पैकिट में व Al Fakher लाल रंग के पैकेट में फ्लेवर्ड तम्बाकू बरामद हुए। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पूछताछ में सभी अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि सर हम लोग यहां हुक्का पीते हैं और लोगों को पैसे लेकर इन्ही फ्लैटों में हुक्का पिलाते हैं। पकड़े गये व्यक्तियों से हुक्के का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे सख्ती से पूछताछ की गई तो पकड़े गये लोगों ने एक सुर में बताया कि सर हम लोग ग्राहकों की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते हैं हमारे पास इसका कोई लाईसेंस नहीं है हम सभी अवैध तरीके से हुक्का बार का संचालन करते हैं तथा इससे कमाई धनराशि को आपस में बाँट लेते हैं।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

1. हनी चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी ए53 ग्राउण्ड फ्लोर 01 सेक्टर03 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर
2. कृष्णा चौधरी पुत्र दिनेश चौधरी निवासी सेक्टर 4/44 थाना वेव सिटी
3. निशान्त यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी एसडी 293 शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद
4. प्रणव वर्मा पुत्र जुगलकिशोर वर्मा निवासी एसई 610 शास्त्री नगर गाजियाबाद
5. अभिषेक डागर पुत्र सतीश डागर निवासी ए ब्लाक म0न0- 114 लोहिया नगर थाना सिहानी गेट

6- स्वास्तिक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी के सी 54/19 थाना कविनगर
7. आदित्य कपूर पुत्र आशीष कपूर निवासी आर 7 ई 91 राजनगर थाना कविनगर
8. आयुष वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी 126 डासना गेट सुख्खीमल मोहल्ला थाना कोतवाली
9. रोनित यादव पुत्र जगवीर सिंह निवासी जे 01 थर्ड एफ0 नेहरू नगर गाजियाबाद
10. लोकेश मलिक पुत्र इन्द्रजीत मलिक निवासी रमतेरम रोड़ म0नं0- 216 थाना कोतवाली गाजियाबाद
11. अनमोल त्यागी पुत्र जगमोहन त्यागी निवासी 58 एफ एफ ज्योति सुपर विलेज राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम
12. रजत यादव पुत्र विजयपाल यादव निवासी म0नं0-421 शाहपुर बमहैटा थाना बेव सिटी
13. अमित यादव पुत्र जगपाल यादव निवासी सारेहोम्स फ्लैट नं0- जी 402 थाना बेवसिटी
14. बिलाल पुत्र आफताब निवासी म0नं0- 192 पुराना किला डासना थाना बेवसिटी
15. मंजीत पुत्र जगदीश निवासी म0नं0- 59 नेहरू नगर न्यू कालिका गढी चौक थाना कोतवाली
16. हर्ष पुत्र शोभाराम निवासी फ्लैट नं0- 126 विनायक टावर महागुनपुरम थाना कविनगर
17. रोहित अरोरा पुत्र मनीष अरोरा निवासी म0नं0- 159 ए न्यू गांधी नगर थाना कविनगर
18. अभय पुत्र पंकज अग्रवाल निवासी म0नं0- सी 2246 न्यू पंचवटी थाना कोतवाली

बरामदगी

- 04 हुक्का
- चिलम 19 पाईप काले रंग के 01 नीले रंग का 01 पीले रंग
- 01 पैकिट हुक्के का निप्पल
- 05 नोसिल पीली धातु
- 08 नोसिल प्लास्टिक
- 01 पीली धातु का चिमटा
- 03 कोईल हीटर
- 01 पैकिट कोईल
- Royal smoking Flavoured sheesha moiasses काले रंग के पैकिट में
- Al Fakher लाल रंग के पैकेट में
- फ्लेवर्ड तम्बाकू 10 पाइप

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।